COURT FEE
भारत INDIA
TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

रतन सोनी तनय स्व. श्री गंगाप्रसाद सोनी व्यवसाय- ज्वेलर्स दुकान साकिन-सिविल लाईन, सागर (म.प्र.) -----------अपीलार्थी

विरुद्ध

म.प्र.शासन द्वारा उपपंजीयक सागर -----------उत्तरदाता

अपील क्रं. ता.प्रस्तुति : 09/03/06

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग -सागर द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 549/बी/105/सन 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 05/12/05 से दुखित होकर निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/12/05 बिना अवलोकन किये विधि विरुद्ध आलोच्य आदेश पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी वसूली नोटिस मिलने पर दिनांक 20/04/05 को हुई अपीलार्थी ने बिना बिलम्ब किये उक्त आदेश की नकल पाने हेतु दिनांक 20/04/05 को ही नकल आवेदन प्रस्तुत किया उसे उक्त आदेश की नकल दिनांक 04/06/05 को प्राप्त हुई अपीलार्थी द्वारा दि.04/06/05 को ही अपने अधिवक्ता से संपर्क किया गया तथा दिनांक 06/06/05 को उक्त अपील प्रस्तुत कराई गई थी।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को यह भी मानना चाहिए था कि अपीलार्थी दिनांक 10/11/04 को लकवाग्रस्त होने के कारण चलने फिरने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहा तथा वह लगातार बीमार चला आ रहा है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को यह भी मानना चाहिए थी कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना पत्र उपस्थिति बावत् नहीं भेजा गया। ना ही अपीलर्थी को उक्त प्रकरण में उपस्थिति बावत् कोई जानकारी दी गई अपीलार्थी को बिना जानकारी दिये बिना विधिवत् संमंस की तामीली के उसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना विधिक अधिकारिता से परे जाकर मनमाना आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज पर उचित स्टाम्प लगाये गये है उपपंजीयक द्वारा अपीलार्थी को अनुपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे आधार मानकर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

-2- A. 1440. [illegible]/06 ([illegible])

26.12.16 : आवेदक की ओर से अधिवक्ता
अनिल चौबे उपस्थित तथा अभियोजन
की ओर से [illegible] [illegible] श्री
[illegible] [illegible] पत्रावली
[illegible] [illegible] [illegible] हेतु नियत
आपत्ति [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible]
प्रस्तुत [illegible] [illegible] है। [illegible]
हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
अपनी आपत्ति आगामी [illegible]
हेतु प्रस्तुत करे।
प्रकरण आदेशार्थ

[illegible] आवेदक की ओर से श्री अनिल-चौबे
[illegible] हेतु प्रकरण [illegible] आगामी 26/12/20[illegible]
को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
प्रकरण को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] को [illegible] किया

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1440-I/06 जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक के अभि. की लिखित निवेदन पर निगरानी अपने [illegible] निर्णय करता है [illegible] प्रकरण हेतु [illegible] आवेदक [illegible] के कारण [illegible] [illegible] किया जाता है। पश्चात सूचित [illegible] अभिलेख वापिस [illegible] [illegible]. (हस्ताक्षर) सदस्य	[illegible] (हस्ताक्षर) 28/12/2006

[कृ. प. उ.